उपलब्धियां

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) दिनांक 25.08.2005 को अधिनियमित हुआ और दिनांक 2.10.2009 को इसे महात्मा गॉधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम दिया गया। इसमें ग्रामीण समुदाय को रोजगार मुहैया कराने तथा उनके जीविका में सुधार हेतु नौ विभिन्न शीर्षों के तहत गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। यह योजना केन्द्र सरकार के (फ्लैगशिप) कार्यक्रम के रूप में फरवरी 2006 में शुरू किया गया। यह अधिनियम प्रत्येक वित्तिय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल श्रमिकों को उनके जीविका में सुधार हेतु 100 दिनों की सुनिश्चित रोजगार देता है। समयबद्व रोजगार की गारंटी तथा 15 दिनों के अन्दर मजदूरी का भुगतान, कार्य में संवेदक तथा मशीन के उपयोग की मनाही, कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधा का उपलब्ध होना, मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 के अनुपात में होना तथा एक–तिहाई महिला श्रम दिवस का सृजन, इस योजना के कुछ अहम विशेषताएं है।

बिहार में यह योजना सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि वर्ष 07–12 के दौरान मात्र एक से सात प्रतिशत ग्रामीण परिवार को ही 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

यह योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशासकीय अधीन है जो नीति निर्धारण, धन की निकासी तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु पर्यवेक्षण तंत्र ढाँचा मुहैया करवाने हेतु जबाबदेह है। उसके बाद राज्य स्तर पर, ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है जिसपर योजना कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, निगरानी एवं समन्वय की सारी जबाबदेही है। तकनीकी, वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी निर्णय लेने की शक्ति जिला एवं प्रखंड स्तर के योजना कार्यकर्ताओं में निहित है।

वर्ष 2007 से 12 के दौरान, ₹ 8184.26 करोड़ मुक्त किए गए जिसके विरूद्व ₹ 8110.84 करोड़ खर्च किए गए तथा 31 मार्च 2012 के समाप्ति पर ₹ 73.42 करोड़ अव्यवहृत शेष के रूप में बचे हुए थे।

इस प्रतिवेदन के अध्याय– एक में योजना की पृष्ठभूमि, परिचय, अंकेक्षण की पहुंच, सैम्पल चयन का विस्तृत ब्यौरा, मानदंड एवं कार्यप्रणाली को दर्शाया गया हैं। अध्याय तीन से बारह में निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्वेश्य तथा अंकेक्षण के परिणाम को दर्शाया गया है। अध्याय तेरह में निष्कर्ष दिया गया है। उक्त पृष्ठभूमि में, महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॉरटी योजना (मनरेगा योजना) का निष्पादन लेखापरीक्षा दिनांक 23.02.12 से 30.06.12 एवं 7.8.12 से 21.8.

12 के दौरान संचालित किया गया। यह निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा–शर्त अधिनियम 1971 की धारा 14 के अधीन किया गया।

महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष नीचे दिए गए है

- मनरेगा योजना के तहत 1.34 करोड परिवारों को पंजीकृत किया गया एवं उसमें से 35 प्रतिशत (वर्ष 2007–12 का औसत) को कार्य उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2007–12 के दौरान अनुबंधित 33 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 28 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 100 दिनों का रोजगार मात्र एक से सात प्रतिशत परिवारों को ही उपलब्ध करवाया गया।

(कंडिका–1.1, 5.2 & 5.3)

- वार्षिक कार्य योजना बिना श्रमिक प्रक्षेपण के तथा विलम्ब से तैयार किए गए थे। जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं किए गए थे। छह जिलों में 3.76 करोड़ मूल्य के कार्य वार्षिक कार्य योजना से बाहर से करवाए गए थे।

(कंडिका–3.2 & 3.3)

- पंजीकृत परिवारों की संख्या को बढ़ा–चढ़ा कर सरकार को प्रतिवेदित किया गया था तथा एक परिवार को एक से अधिक जॉब कार्ड निर्गत किए गए थे। 82 ग्राम पंचायतो में 40,304 परिवार अधिक पंजीकृत दिखलाए गए थे तथा 50 ग्राम पंचायतों में 2849 परिवार के पास 5748 जॉब कार्ड उपलब्ध थे।

(कंडिका–5.1)

- योजना के तहत कार्य उपलब्ध कराने की प्रवृति 75 प्रतिशत (वर्ष 2007–08) से घट कर 20 प्रतिशत (वर्ष 2011–12) रह गई थी।

(कंडिका–5.1)

- श्रम बजट सही समय पर तैयार नहीं किए गए थे तथा वास्वविकता से परे थे। वर्ष 2007–12 के दौरान राज्य को केन्द्रांश के रूप में ₹ 9684.24 करोड़ के अनुदान से वंचित होना पड़ा, जिसका कारण कम मानव दिवस का सृजन, बिना उचित ब्यौरा के माँग में अत्यधिक वृद्धि तथा अनुदान का अव्यवहृत रह जाना था।

(कंडिका–3.5 & 4.2)

- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना/काम के बदले अनाज कार्यक्रम मद में बचे अनुदान की शेष राशि ₹ 21.48 करोड़ तथा ₹ 77.36 करोड़ मूल्य के शेष खाद्यान्न को मनरेगा योजना खाते में हस्तान्तरित नहीं किया गया तथा विशेष अनुदान की राशि ₹ 3.29 करोड़ को तीन साल से अधिक समय से बाधित कर रखा गया था।

(कंडिका–8.1 & 8.2)

- राज्य सरकार उपलब्ध अनुदान की राशि के उपयोग करने में विफल रही तथा वर्ष 2007–12 के दौरान 26 से 40 प्रतिशत तक राशि अव्यवहृत थी। साथ ही मजदूरी एवं बकाया सामग्री बिल के मद में ₹ 79.54 करोड. देयता थी।

(कंडिका–4.1& 5.8)

- लाभुक सर्वेक्षण (1997 लाभुको का) में ज्ञात हुआ कि 37 प्रतिशत जॉब कार्ड में लाभुको का फोटो नही पाया गया तथा 26 प्रतिशत मामले में जॉब कार्ड में दर्ज मजदूरी लाभुकों के बैक/डाकघर खाते से मेल नहीं खा रहे थे।

(कंडिका–9.1)

- मजदूरी का विलम्ब से भुगतान और मजदूरी का भुगतान नहीं होने से सम्बन्धित कई मामले प्रकाश मे आए जिसके लिए किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति नहीं किया गया था। तीन जिलों में 12092 परिवारों को कार्य से वंचित रखा गया था। सौ प्रतिशत मामलों में कार्य चाहनेवालों को मौखिक आवेदन पर कार्य उपलब्ध कराए गए थे जिसका प्रलेखीकरण नहीं कराया गया था।

(कंडिका–5.4.1 & 5.7)

- चयनित 15 जिलों में सबसे निचले क्रम के कार्य के प्रभाग को उच्चतर प्राथमिकता दिया गया था (19 प्रतिशत कार्य सड़क निर्माण से सम्बन्धित था) तथा अस्वीकार्य परियोजनाएँ के कार्यान्वयन पर 2.11 करोड़ रूपये खर्च किए गए थे। वर्ष 2007–12 के दौरान राज्य स्तर पर किए गए 7.44 लाख कार्यों में से मात्र 3.06 लाख कार्यों को ही पूरा किया गया था।

(कंडिका– 6.1, 6.2 & 6.3)

- चयनित जिलों में योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियाँ थी। पंचायत समिति, जिला परिषद् वैसे 3962 कार्यों का कार्यान्वयन, जिसमे 113.66 करोड़ रूपये खर्च किए गए थे, किया जो एक से अधिक पंचायत/पंचायत समिति को नहीं जोड़ रहे थे।

(कंडिका–3.4)

- बचाव की सक्षम व्यवस्था नहीं रहने के कारण, अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं करने तथा स्थल का गलत चयन होने से 1.76 लाख पौधे, जिसे 2.07 करोड़ रूपये खर्च करके लगाया गया था, बर्बाद हो गए।

(कंडिका–6.12)

- सरकार को एम.पी.आर. द्वारा प्रतिवेदित खर्च एवं सृजित मानव दिवस का ब्यौरा तथा एम.आई.एस. के ब्यौरे के बीच काफी अन्तर था। राज्य तथा जिलों के द्वारा पर्यवेक्षण उचित रूप में नही किया जा रहा था। कार्य राज्य स्तर के पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षित नहीं था तथा नौ जिलों में पर्यवेक्षण एक से नौ प्रतिशत कार्यों का किया गया था।

(कंडिका–10.1)

- शिकायतों के निपटारा हेतु सशक्त व्यवस्था राज्य एवं जिला स्तर पर नहीं थी। शिकायत पंजी ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित नहीं किया जा रहा था तथा राज्य और जिलों में लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई थी।

(कंडिका–10.4)

- अव्यवहृत अनुदान एवं अनाज के मूल्य तथा सामग्री का मजदूरी की तुलना में अधिक खर्च करने के कारण 76.42 लाख कम मानव दिवस का सृजन हुआ था।

(कंडिका– 9.1, 8.1, 6.4 & 4.6)